बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0–02 / स्था0–16–01 / 2024– 404 पटना, दिनांक–

कार्यालय–आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार के निम्नांकित कार्यालय परिचारियों को कार्यालय परिचारी कोटि III (वेतन स्तर–2) से कार्यालय परिचारी कोटि II (वेतन स्तर–3) के पद का विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	कार्यालय परिचारी का नाम	वर्ष–2026 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	कोटि
1	2	3	4	6	5
1	मो0 फिरोज खाँ	1	02.12.1967	04.01.1990	सामान्य
2	श्री संजय चौधरी	2	05.10.1971	22.11.1990	अनु0 जाति
3	श्री देव नारायण कामत	3	01.07.1969	16.05.1991	अ0पि0व0
4	मो0 रेयाजुद्दीन	4	04.02.1968	02.12.1991	सामान्य
5	श्रीमती गौरी देवी	5	15.12.1968	01.11.1994	सामान्य
6	श्री संजीत कुमार	6	05.03.1972	05.11.2001	अ0पि0व0
7	श्री निरंजन राय	7	04.06.1976	16.09.2002	पि0व0
8	श्री ओमनाथ प्रसाद	8	08.03.1967	08.03.2007	अनु0 जाति
9	श्री लखन साव	9	04.06.1967	08.03.2007	पि0व0
10	श्री राम प्रसाद मंडल	10	13.10.1967	08.03.2007	अ0पि0व0
11	श्री छविनाथ मिश्र	11	08.04.1968	08.03.2007	सामान्य
12	मो0 असगर अली	12	15.01.1970	08.03.2007	सामान्य
13	श्री मोहन साह	13	26.02.1970	08.03.2007	अ0पि0व0
14	श्री मदन मोहन मेहरा	14	03.06.1971	08.03.2007	अ0पि0व0
15	श्री बंधु प्रसाद	15	25.11.1971	08.03.2007	पि0व0
16	श्री सुरेन्द्र राम	16	05.02.1972	08.03.2007	अ0पि0व0
17	श्री सुनील कुमार सिन्हा	17	08.03.1972	08.03.2007	अ0पि0व0
18	श्रीमती नीलम देवी	18	03.01.1975	21.01.2008	अ0पि0व0
19	श्री प्रभु कुमार	19	12.06.1987	23.07.2010	अनु0 जाति
20	श्री सुनील कुमार	20	02.10.1977	19.09.2014	अनु0 जाति
21	श्री मनोज कुमार	21	15.08.1985	05.06.2015	अ0पि0व0
22	श्री सनोज कुमार महतो	22	17.12.1991	09.01.2017	अ0पि0व0
23	श्री नन्द किशोरे साह	23	10.02.1992	02.03.2017	पि0व0

2. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ कार्यालय परिचारी कोटि II (वेतन स्तर–3) के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले कर्मी के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि / विसंगति पाए जाने एवं प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार भुगतान की गई राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

कृ0पृ0उ0

4. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर प्रदान की जाती है।

5. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप उपर्युक्त कर्मी पूर्व पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित करेंगे एवं कार्य करते रहेंगे।

6. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(कृष्ण गोपाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–16–01/2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–16–01/2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा–30 (लेखा शाखा) एवं सभी संबंधित कर्मी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–16–01/2024– 5975 पटना, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre / IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.10.26
सरकार के उप सचिव
13.10.26